कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक :– जिविसेप्रा / निविदा / 2023 / 04 दिनांक 28.04.2023

सीमित निविदा सूचना 02 / 2023–24

NIB No- ....

इस कार्यालय मे वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निम्नांकित कार्यो के लिए दर संविदा हेतु प्राधिकृत डीलर / बोनाफाईड निर्माता / फर्म / व्यक्तियों से मोहरबंद निविदांए दो पृथक–पृथक लिफाफो मे आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्मिको की संख्या	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क की डीडी
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर	01	1,50,117 / –	3002 / –	–

उक्त कार्यो निविदा प्रपत्र दिनांक 28.04.2023 से दिनांक 04.05.2023 को प्रातः 10.00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है। निविदा 04.05.2023 को 11.00 बजे तक जमा की जावेगी तथा 05.05.2023 को दोपहर 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा सूचना के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी वेबसाईट पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है, तथा निविदा फार्म वेबसाइट से डाउनलोड कर भेजा जा सकता है।

नोटः– सशर्त निविदा प्राप्त नही की जावेगी तथा किसी एक या समस्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षर के पास सुरक्षित है।

संलग्नः– शर्ते एवं निविदा प्रपत्र।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर OIC

क्रमांक :– जिविसेप्रा / निविदा / 2023 / 28-35 दिनांक 28.04.2023

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. माननीय सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को सूचनार्थ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिरकण, डूंगरपुर को सूचनार्थ।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर की वेब साईट पर अपलोड करावे।
4. राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड हेतु।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र मे उक्त निविदा को डूंगरपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर अनुसार बिल दो प्रति में प्रस्तुत करे।
6. नोटिस बोर्ड

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर OIC

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,डूंगरपुर (राज.)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र–प्रथम (तकनीकी बोली प्रपत्र) पृथक लिफाफे में **(लिफाफा नं01)**

निविदा/बोली शुल्क राशि : –
निविदा प्रस्तत विक्रय करने की तिथि : दि. 28.04.2023 से दि. 04.05.2023 प्रातः 10.00 बजे तक
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 04.05.2023 तक प्रातः 11:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि : 05.05.2023 को दोपहर 11.00 बजे
किसको सम्बोधित किया जाना है/संदर्भ : श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
फर्म/बोलीदाता/संवेदक का नाम व पता : ....
....
फोन नं./मो.नं. : ....
ई–मेल आई डी : ....
बैंक का नाम : ....
बैंक का आईएफएस कोड : ....
बैंक खाता संख्या : ....

1. वित्तिय वर्ष 2023–2024 में पूर्णतः अस्थायी तौर पर सेवा प्रदाता एजेन्सी/संवेदक से अनुबन्ध पर मेन विद मशीन हेतु निविदा।
2. सम्पर्क सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर की निविदा सूचना :– क्रमांक /जिविसेप्रा/निविदा/02 दिनांक 28.04.2023
3. हम कार्यालय हाजा द्वारा जारी निविदा सूचना सं. 02/2023–24 दिनांक 28.04.2023 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर किये है।
4. सेवा प्रदाता ऐजेन्सी /संवेदक से सम्बन्धित तकनीकी योग्यता सम्बन्धी विवरण :–

Status of Agency :-

क्र. सं	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन,1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत (पंजीकरण प्रमाण–पत्र)				
7	किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र। (न्युनतम 2 वर्ष)				
8	किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड़ न होने सम्बन्धी स्वयं का घोषणा पत्र।				
9	बिड सिक्योरिटी 2 प्रतिशत (डीडी संलग्न)				

(कृपया उपरोक्त सारणी अनुसार प्रत्येक आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र/सत्यापित प्रतिलिपि अनिवार्यतः संलग्न करें। श्रम कानुनों मे रजिस्टर न होने पर संबधित घोषणा पत्र लगाना होगा।)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम व मोहर

–: निविदा की मुख्य शर्ते :–

महत्वपूर्ण निर्देष :– The law relating to procurement "The Rajasthan transparency in public procurement act, 2012" (hereinfafter called the act) and the rajasthan transparency in publice procurement rules, 2013 (herinfafter called the act) under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal www.sppp.rajasthan.gov.in therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with provisions to the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the act and the rules and this bidding document, the provision of the rules shall prevail.

1. निविदाएं दो पृथक–पृथक मोहर बन्द लिफाफों में प्रस्तुत की जावें। प्रथम लिफाफे पर "तकनीकी बिड – मशीन विद मेन लेने हेतु निविदा " एवं द्वितीय लिफाफे पर "वित्तीय बिड– मशीन विद मेन लेने हेतु निविदा " अंकित करें। निविदा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक/पोस्टल ऑर्डर तकनीकी बीड वाले लिफाफे में ही प्रस्तुत करें। लिफाफा " सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के नाम भिजवाये/जमा कराये। नगद, ऑनलाईन या अन्य माध्यम से राशि जमा/मान्य नही होगी। निविदा शुल्क " सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के नाम पर डीडी/बैंकर चेक/पोस्टल ऑर्डर के रूप मे जमा कराई जावे। निविदा की तकनीकी बिड में सफल पाये जाने वाली फर्म की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. निविदा इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी। तकनीकी बीड के लिफाफे में वित्तीय बीड डालने अथवा एक ही लिफाफे में निविदा प्राप्त होने पर फर्म की निविदा निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन SPPP पोर्टल पर डाउनलोड किये जा सकते है। इस हेतु निविदा शुल्क राशि रू. 200/– का डी.डी. जमा करवाना अनिवार्य होगा जो " सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर ' के नाम देय होगा, जिसके अभाव में निविदा/बोली को किसी भी परिस्थिति में निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
4. निविदा स्याही/बॉल पेन/टंकण से ही स्पष्ट लिपि में अंकित की जावें एवं कटिंग/ऑवर राइटिगं नही की जावें, कटिंग/ऑवर राइटिंग होने पर लघु हस्ताक्षर कर स्पष्ट करें। पेन्सील से भरी गई निविदा निरस्त मानी जावेगी।
5. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप/प्रपत्र को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
6. निविदा में दरें (राशि अंको में तथा शब्दो मे स्पष्ट हो) अंकित करें। भिन्नता, अस्पष्टता होने पर शब्दो में अंकित दरें ही मानी जायेगी।
7. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप मे सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर को अविलम्ब सूचित किया जायेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्वो से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूर्ववर्ती सदस्यो को मूक्त नहीं किया जायेगा।
8. संविदा के सम्बन्ध में नई फर्म के तब तक कोई नया भागीदार स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक की वह समस्त निर्बंधो व शर्तो का पालन करने हेतु सहमत न हो और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिरकण, डूंगरपुर के समक्ष इस आशय का लिखित करार जमा न करा दे।
9. भुगतान :–
   सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रदायदाता को भुगतान किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा। जीएसटी एव टीडीएस की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

10. वित्तीय बिड में दरें जीएसटी सहित दी जावे। जीएसटी का भुगतान नियमानुसार लागू होने वाली फर्म को अतिरिक्त देय होगा। जिसके लिए पूर्व में भरे गये जीएसटी के चालान की प्रमाणित प्रति बिल के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. GST पंजीकरण की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। GST पंजीकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि आयकर विवरणी संलग्न नहीं करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
12. प्रदाय आदेश के बाद सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार मशीन विद मेन उपलब्ध करवाना होगा।
13. सेवा अनुबन्ध के तहत कार्मिको से अपेक्षित कार्य कराये जाने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता ऐजेन्सी/फर्म/कम्पनी/संस्थान के माध्यम से आमंत्रित निविदा अनुसार पदों की संख्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम सकल मानदेय निम्नानुसार निर्धारित है :-
(1) सेवा ऐजेन्सी द्वारा संविदा पर उपलब्ध कराई जाने वाली मेन पावर पूर्णतः अस्थाई होगी तथा संविदा की अवधि समाप्त होते ही कार्य में लगाई गई मैन पावर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
(2) सेवा ऐजेन्सी द्वारा वही मेन पावर लगाई जाये जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हो, कार्य में दक्ष हो व कार्यालय में स्वीकार्य हो।
(3) कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा हिन्दी, अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर) तथा अंग्रेजी स्टेनो न्यूनतम गति हिन्दी 25 एवं अग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनिट का ज्ञान होना आवश्यक है। पेजमेकर एवं कोरल ड्रा के जानकार को प्राथमिकता दी जावेगी।
(4) सेवा ऐजेन्सी द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
(5) कम्प्यूटर ऑपरेटर की आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिऐं।
उपरोक्त के लिए लेखाशाखा/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शर्तो को पूरा करने की पुष्टि उपरान्त ही कार्यालय में कार्य हेतु नियुक्त किया जायेगा।
14. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। श्रम नियमों की अनुपालना का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ऐजेन्सी का होगा। श्रम विधि के विभिन्न प्रावधानो के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रेकार्ड को सुरक्षित संधारित करने की सेवा ऐजेन्सी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
15. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रेन्द्रीय अधिनियम 11,वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व निविदादाता का होगा।
16. निविदा दाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैक खातों में ही किया जाएगा। सम्बन्धित निविदा दाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा श्रमिकों के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही निविदादाताको आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा। सेवा ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई मेन पावर को पारिश्रमिक का भुगतान स्वयं ऐजेन्सी को ही अगले माह की 5 तारीख तक करना होगा।
17. बोली प्रतिभूति में समपहरण (Forfeiture of bid security) बोली प्रतिभूति की निम्न लिखित मामलो में समपहरण किया जा सकेगा :-
(क.) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता है।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

18. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिंको की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह का बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
19. आयकर की नियमानुसार कटौती की जावेगी। सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज की राशि पर ही कर देय होगा न कि श्रमिक की मजदूरी पर। निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की (GST) राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति मे वस्तु एवं सेवा कर के (GST) सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वो के लिये निविदादाता स्वंय उतरदायी होगा
20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की काई जिम्मेदारी नहीं होगी। संविदा पर लगे श्रमिकों की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटना/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार सेवा ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिये इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नही किया जायेगा।
21. यदि सेवा ऐजेन्सी के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोश पाने हेतु कार्यवाही करता है और उसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर या अन्य अधिकारी को भी पक्षकार बनाता है तो इस कार्यालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार सेवा ऐजेन्सी को वहन करना होगा। किसी वाद विवाद में न्यायालय का स्थान डूंगरपुर होगा।
22. संविदा अवधि में संविदा के दोनो पक्षों निविदादाता/संवेदक एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर या उनके मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थ वार्ता में दोनो पक्ष अपना एक–एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
24. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर श्रमिकों के हितो में किये जाने वाले प्रावधानो की पालना करने का दायित्व सेवा ऐजेन्सी का होगा।
25. निविदा में भाग लेने वाली ऐजेन्सी पिछले पांच वर्षो के दौरान राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही होना चाहिऐं।
26. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा समान दर होने पर एक से अधिक फर्मो की दरें भी अनुमोदित की जा सकती है।

27. किसी भी निविदा को बिना कारण बताऐं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर का होगा।
28. सेवा अनुबन्ध सामान्यतः 29/02/2024 तक होगा जोकि आगे राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा। कार्य सन्तोषजनक नही होने, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति समाप्त होने अथवा अपरिहार्य कारण उत्पन्न होने पर अनुबन्ध वर्ष के बीच में कभी भी तत्काल समाप्त किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे सेवा ऐजेन्सी को मानना होगा।
29. ऑपरेटर का कार्यालय समय कार्यालय समयानुसार रहेगा। एवं प्रतिदिन उपस्थिति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
30. कम्प्यूटर मशीन विद् मेन के अनुपस्थित रहने पर उसके पारिश्रमिक से नियमानुसार प्रति कार्य दिवस की दर से कटौती की जावेगी।
31. सेवा ऐजेन्सी को समस्त कार्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर या उसके अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण मे सम्पादित करना होगा।
32. कम्प्यूटर मशीन विद् मेन को कार्यालय कार्य की गोपनीयता रखनी होगी। किसी भी प्रकार से गोपनीयता भंग होने की शिकायत पर निविदादाता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावेगी।
33. निविदा स्वीकृति की दरों के आदेश प्रसारित होने के बाद सम्बन्धित फर्म को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर में उपस्थित होकर रू. 500/— या संशोधित स्टॉम्प ड्युटी पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
34. सेवा ऐजेन्सी द्वारा दी गई अन्य कोई शर्तें एवं सशर्त निविदा मान्य/स्वीकार्य नही होगी।
35. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड की राशि सेवा ऐजेन्सी को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर को होगा।
36. सेवा आपूर्ति संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके सम्बन्ध में सेवा ऐजेन्सी को पूर्ण जिम्मेदारी होगा।
37. निविदादाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
38. स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता द्वारा कम्प्यूटर मशीन विद् मेन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर द्वारा खुले बाजार से कम्पयूटर मशीन विद् मेन हायर किये जायेगे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर के द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता के बिलों से कटौती की जावेगी।
39. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर मशीन विद् मेन की सेवाऐं सन्तोषप्रद नही होने पर उसे हटाया जा सकेगा। एक बार लगाये गये डाटा कम्प्यूअर मशीन विद् मेन को अनुबन्ध अवधि में बदला नही जायेगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में बदलना पड़े तो इस कार्यालय की लिखित में पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
40. किसी शर्त/बिन्दू पर टकराव की स्थिति में राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रावधान/आदेश ही मान्य होगा।
41. बाल श्रमिक नियोजित नहीं करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

42. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 2(**Xiii**) के अनुसार प्रतिफल के बिना अर्थात शून्य (0) सर्विस चार्ज होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
43. कार्य सम्पादन प्रतिभूति 5% प्रतिशत देय होगी।

44. सफल निविदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिको का निवास स्थान डूंगरपुर, तालुका सागवाडा, सीमलवाडा, आसपुर मुख्यालय पर होना अतिआवश्यक होगा।

45. एक से अधिक निविदादाताओं की वित्तीय दरें समान होने पर निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर सफल निविदा का चयन किया जाएगा–

(I) निविदा दाता का गत तीन वर्षो के औसत टर्नओवर जिसका अधिक होगा, चयन के लिए पात्र होगा।

(II) यदि औसत टर्नओवर एक से अधिक निविदा दाता का समान होने पर पिछले 12 माह मे उनको प्राप्त
कार्यादेश की प्रतियों के अनुसार अधिकतम नियोजित कार्मिकों की संख्या के अधार पर प्राथमिकता तय
की जावेगे।

46. निविदा सम्बन्धी नियम व शर्ते वित्त विभाग के आदेशो के अधीन है, जिनमे परिवर्तन अनुसार शर्तो मे भी
परिवर्तन माना जावेगा।

में/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मेंने/उपर्युक्त समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ एवं समझ लिया हैं, जो हमे स्वीकार्य हैं, जिसकी सहमति के रूप में प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।

अनुलग्नको की सूचिः–

Annexure-A:	Compliance with the code of integrity and No confilict of Interesat.
Annexure-B:	Declaration by the Bidder regarding Qualifacations.
Annexure-C:	Grievance Redresasal during Procurement Processas.
Annexure-D:	निविदादाता द्वारा घोषणा (not being black listed)
Annexure-E:	Financial bid वित्तीय लिफाफे में डालने हेतु।

मेंने/संस्था ने उपर्युक्त समस्त शर्तो को ध्यानपुर्वक पढकर समझ लिया है, तथा उपर्युक्त से सहमत हूँ।

बोलीदाता का नाम व हस्ताक्षर
मय मुहर

अन्य सभी नियम व शर्ते वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F9(1)FD-1(1) Bud/2004 dated 28.07.2008 एवं एफ2 (1) वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 और विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशो के अध्यधीन रहेगी।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम (फर्म का नाम) .... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है । इसके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने मय सील हस्ताक्षर कर दिए है।

बिड में संलग्न समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जांच मेरे द्वारा कर ली गई है। जो मौलिक रूप से सही है। जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ इसमे यदि किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड निरस्त करने/विधि सम्मत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोंक्त सभी वर्णित शर्ते 1 से 44 तक को मै पूर्ण रुप से स्वीकार करता हूँ एवं इनकी अनुपालना करुंगा।

G.F.&A.R.Part-II Rule 48 (vii) निविदादाता द्वारा दी जाने वाली घोषणा (एस आर प्रारूप 11)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणो के लिये निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनोफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल/ सैलिंग/विपणन एजेन्ट हूँ/है।
यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहरत कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्ध कर दिया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम व सील

राजस्थान सरकार

Annexure-E

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,डूंगरपुर

सेवा प्रदाता एजेन्सी संवेदक के माध्यम से कम्प्यूटर मशीन विद् मेन बाबत

वित्तीय निविदा प्रपत्र पृथक लिफाफे में (लिफाफा नं. 2)

(जीएसटी का भुगतान बिल राशि पर अलग से देय होगा यदि फर्म जीएसटी के दायरे में आये एवं फर्म द्वारा पूर्व में भरे गये जीएसटी का चालान प्रमाणित कर बिल के साथ संलग्न करे।)

1. कम्प्यूटर मशीन विद् मेन की सेवाऐं जोब बेसिस पर पूर्णतया अस्थाई अनुबन्ध पर लगाये जाने हेतु निविदा।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/सेवा ऐजेन्सी / संवेदक का नाम व पता ....

....

3. सन्दर्भ :– सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर की निविदा सूचना संख्या ....

दिनांक .... के द्वारा जमा करा दी गई है।

4. सेवा अनुबन्ध पर कम्प्यूटर मशीन विद् मेन लगाये जाने हेतु हमारी सकल दरें (सभी करों रहित) प्रतिमाह निम्नानुसार होगी :–

क्र. सं	कार्य की प्रक्रति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदुरी	सेवा प्रदाता /संवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	वस्तु एवं सेवा कर (नियमा–नुसार)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मासिक आधार पर कम्प्यूटर मशीन विद् मेन	उच्च कुशल – 01	रू. 8658/– (रू. आठ हजार छः सौ अट्ठावन)		13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत			(अंको मे) (शब्दो में)	(अंको मे) (शब्दो में)

5. राज्य सरकार/भारत सरकार को नियमानुसार देय समस्त वैधानिक कटौतियां प्रस्तावित सकल दर में शामिल है,जो हमारे द्वारा वहन की जावेगी।
6. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1, 4 व 6, 7 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष स्तम्ब संख्या 5, 8, 9 व 10 में ही बोलीदाता द्वारा समूचित प्रविष्टियां की जा सकेगी।
7. मैं/हम (फर्म का नाम) .... जारी की गई निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय नाम व सील

Annexure - D

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हम जिस सेवा प्रदाता कार्य की आपूर्ति का कार्य जहां कही भी किया है उस कार्य हेतु विगत तीन वर्षो में कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण हमे किसी सरकार विभाग उपक्रम कम्पनी द्वारा ब्लेकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह घोषणा करते है कि हमें किसी न्यायालय में सेवा प्रदाता कार्य के संदर्भ में कोई वाद लम्बित नही है तथा इस विषयान्तर्गत हमे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...